राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

फाल्गुन 13, मंगलवार, शाके 1935–मार्च 4, 2014
Phalguna 13, Tuesday, Saka 1935–March 4, 2014

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 4, 2014

संख्या प. 2 (8) विधि/2/2014:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 3 मार्च, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 7)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 3 मार्च, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमतापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर

शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः, मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट, लाडो, पोस्ट आफिस सुलतानपुर, कुमारहट्टी, सोलन (हिमाचल प्रदेश), जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अधीन उप रजिस्ट्रार, सोलन (हिमाचल प्रदेश) के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण सं. 1227/2006, दिनांक 2-11-2006 पर रजिस्ट्रीकृत एक ट्रस्ट है जो शिक्षा के क्षेत्र में लगा हुआ है और विगत चार वर्षों से एक निजी विश्वविद्यालय अर्थात् मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को चला रहा है;

उक्त मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट, लाडो, पोस्ट आफिस सुलतानपुर, कुमारहट्टी, सोलन (हिमाचल प्रदेश) ने राजस्थान राज्य के ग्राम भुजेला और वाड़ा, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान, जयपुर, संकायाध्यक्ष, प्रबन्धन संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, प्राचार्य, रवीन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर और निदेशक, प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त मानव भारती चैरिटेबल ट्रस्ट, लाडो, पोस्ट आफिस, सुलतानपुर, कुमारहट्टी, सोलन (हिमाचल प्रदेश) को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 25 सितम्बर, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अ.भा.त.शि.प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "वै.औ.अ.प." से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली अभिप्रेत है;

(ग) "दू.शि.प." से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "दूरस्थ शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है;

(ङ) "वि.प्रौ.वि." से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है;

1	2
Control System Laboratory	1
Electrical Machines Laboratory	1
Physics Laboratory	1
Chemistry Laboratory	1
Electrical Laboratory	1
Drawing Laboratory	1
Language Laboratories	2
Biotechnology Laboratory	1
Networking Laboratory	1
Total	**17**

5. **Facilities for Co-curricular activities:**

Indoor Facilities:

Carrom
Chess
Table Tennis

Outdoor Facilities:

Athletics
Basketball
Volleyball
Yoga and Meditation

SCHEDULE – II

Disciplines in which University shall undertake study and research:

1. Engineering and Technology
2. Architecture and Planning
3. Computer Science and Applications
4. Basic and Applied Sciences
5. Management
6. Commerce, Business and Economics
7. Humanities and Social Sciences

8. International Trade and Commerce
9. Law
10. Pharmacy
11. Education
12. Library Science and Informatics
13. Journalism, Mass Communication and Media
14. Healthcare including Medical, Dental, Pharmaceutical Sciences, Ayurved, Naturopathy, Homoeopathy, Veterinary, Physiotherapy, Biotechnology, Medical Sciences, Paramedical and Nursing
15. Hospitality, Travel and Tourism
16. Physical Education
17. Arts and Crafts
18. Home Science
19. Agriculture

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press Jaipur.